प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला कलेक्टर) जालोर

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
विवेक मीणा 6 शंकर विहार जगतपुरा जयपुर 302017 राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी भीनमाल
प्रकरण अपील		30/2019
कम्प्यूटर आई.डी		2019/00118

अपील अर्न्तगत धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

02.12.2019

अपीलांट ने यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को अपील की प्रति भेजते हुये जवाब प्राप्त किया जावे व जवाब की प्रति अपीलांट को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजने हेतु लिखा जावे। पत्रावली 18.12.2019 को जवाव/बहस हेतु पेश हो।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर

18.12.2019

अपीलांट व सहायक लोक सूचना अधिकारी अनुपस्थित।सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी)भीनमाल का जवाब डाक से प्राप्त हुआ।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी)भीनमाल ने जवाब दिनांक 12.12.2019 द्वारा व्यक्त किया कि अपीलांट का सूचना के अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र के कम में आवेदित सूचना इस कार्यालय के पत्रांक/2475 दिनांक 19.11.2019 द्वारा अपीलांट को भिजवाई गई। सूचना के अधिकार अधिनियम में कार्यालय में उपलब्ध सूचना ही उपलब्ध करवाई जाती है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी (उपखंड अधिकारी भीनमाल) के द्वारा प्रस्तुत जवाब व कथन पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उपखंड अधिकारी भीनमाल द्वारा कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलांट को जरिए पत्रांक/2475 दिनांक 19.11.2019 को भिजवाया जाना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलांट की अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर